



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19052026-272700
CG-RJ-E-19052026-272700

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2463]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 2463]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 19 मई, 2026

का.आ. 2555(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (अमेंडमेंट)अधिनियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-अलवर-बांदीकुई तथा बांदीकुई-जयपुर खंड में 1×25 केवी से 2×25 केवी ट्रेक्शन प्रणाली में उन्नयन कार्य" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं .	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	2	3	4
1	उप खण्ड अधिकारी, अलवर व मालाखेडा	अलवर एवं मालाखेडा	अलवर
1	उप खण्ड अधिकारी, बस्सी व सांगानेर	बस्सी एवं सांगानेर	जयपुर

[फ़ा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 19th May, 2026

S.O. 2555(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008, the Central Government hereby authorize the officers mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special railway project of “**Upgradation work of electric traction system from 1x25KV to 2x25KV traction for Rewari – Alwar – Bandikui and Bandikui – Jaipur section of North Western Railway**” in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column relating to the district mentioned in column(4) of the said Table for the purpose of execution, maintenance , management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	Tehsil	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Officer, Alwar & Malakhera	Alwar & Malakhera	Alwar
2	Sub Divisional Officer, Bassi & Sanganer	Bassi & Sanganer	Jaipur

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)